

फर्द अहकाम

कतबे २०११

बनाम लालचन्द

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या 12...../2025

उ. ० पत्र-१.६

क्रमांक	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
०५	11/28	वकुलाये फरीकेन उपस्थित वकीलों ने कार्य स्थगित कर रखा है अतः पत्रावली दिनांक 14/11/25 को पेश हो।	
14	11/25	वकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी कोरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 17.12.25 को पेश हो।	
17/12/25		<p>पत्रावली पेश। धनील इन्फ पत्रावली पेश।</p> <p>उपरोक्त के विवेक किया कि न्यायिक. ०५ ६ ०५ के उद्देश्य अनुसार नहीं जा रहा। मिल पर न्यायिक विवेक के तहत जा रहा है। उपरोक्त के मूल पर का फैसला होने तक न. १. ६. २५ ०१/२५ के इन्फ के पाठ्य करने हेतु निर्देश किया, जिस पर जमीन/वासी वकील ने सहमति जाहिर की। वही पर मत किया। पत्रावली का हवलदार किया गया। वकील उपरोक्तों का निवेदन स्वगत कर सापेक्ष किया जा रहा कि १.६ दिनांक 22/01/25 से इन्फ पत्रावली को पाठ्य किया जाकर मूल पर का फैसला होने तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली के तहत सुमाट होकर दर्ज नम्बर से काम हो बाद दाखिल इफ्टर हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)